RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2025-27
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

गौतम बुद्ध

बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर

नवम्बर-2024 | वर्ष - 16 | अंक : 10 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.),
मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल)
मो.: 8299162841
हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख -
रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :
राजकुमार, उन्नाव
मो.: 9889273743, 9392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख
रमा गजभिये, मो.: 7828273934
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक
पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020
IFSC CODE-SBIN0001784

दलितों के लेनिन

जात-पांत से ऊपर उठकर आदमी को आदमी की तरह देखने का विनम्र निवेदन संत कवियों की बानियों में देश का दलित पिछड़ा समाज सदियों से करता आ रहा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने ठीक यही बात अधिकार और कर्तव्य की आधुनिक शब्दावली में कही, लेकिन वर्चस्वमूलक भारतीय समाज पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। पिछले दो दशकों में इसी विमर्श ने कांशीराम के वैचारिक और सांगठनिक नेतृत्व में नया आकार लिया। पहली बार देश के दलितों, अति पिछड़ो को एक आक्रामक भाषा मिली। एक क्रम में आते-आते यह प्रक्रिया धुंधला-सी गई है लेकिन इसकी अब तक की उपलब्धियों को याद करने का समय यही है, जब अचानक कांशीराम हमारे बीच नहीं हैं।

कांशीराम अब नहीं रहे। भारतीय राजनीति में विचारधारा पर आधारित आंदोलनकारी के रूप में उनके सामने डॉ. अंबेडकर के बाद कोई अन्य नजर नहीं आता। फिर भी वे अपने को बेहिचक 'महा अवसरवादी' कहा करते थे। इस तरह की स्वीकारोक्ति स्वयं में इस बात की साक्षी है कि वे बेहद ईमानदार व्यक्ति थे। वे निरंतर धारा के विरूद्ध चलने वाले राजनीतिज्ञ थे। इसलिए प्रचलित मान्यता के विरूद्ध वे अस्थिरता की राजनीति को बहुजन समाज के हित में देखा करते थे और बार बार होने वाले मध्यवधि चुनावों को सही समझते थे।

इस संदर्भ में उनका कहना था कि इन चुनावों के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ जाती है जिसके कारण हजारों लोगों को तात्कालिक रोजगार मिल जाता है। उनके इन विचारों की सार्थकता इस तथ्य से भी उजागर होती है कि हर चुनाव के बाद उनकी बहुजन समाज पार्टी और मजबूत होकर खड़ी होती रही। मीडिया लगातार उन्हें दलितों का मसीहा कहता रहा है लेकिन उनका यह मूल्यांकन अधूरा है। हकीकत यह है कि कांशीराम वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को एक साथ मिलकर उसे बहुजन समाज कहा और इसी आधार पर उन्होंने 85 प्रतिशत बनाम 15 प्रतिशत का नारा बुलंद किया और इसी मूल समझ का परिणाम था उनका नारा तिलक, तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। हालांकि बाद में मायावती यह कहकर इसका खंडन करती रही कि यह नारा उनका नहीं है।

कांशीराम अपनी निर्भीक टिप्पणियों के लिए विख्यात थे। वे भारतीय जनता पार्टी को कोबरा सांप, और कम्युनिस्टों को 'हरी घास के हरे सांप' के रूप में परिभाषित करते थे। उनकी निर्भीकता का अनोखा नमूना यह है कि कुछ वर्ष पहले हैदराबाद की एक विशाल जनसभा में उन्होंने यहां तक कह डाला कि डॉ. अंबेडकर एक छोटे से वर्ग (महार) के नेता थे जबकि वे स्वयं बहुजन समाज के नेता है। उस समय देश के अनेक हिस्सों में इस टिप्पणी के खिलाफ आवाजें उठी थीं लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए।

कांशीराम की विचारधारा के मूल स्त्रोत बुद्ध, अंबेडकर, महात्मा फुले, साहूजी महाराज तथा पेरियार थे। इन सबका निचोड़ था ब्राह्मणवाद अर्थात हिदुत्व के विरूद्ध समानता का संघर्ष जिसकी आड़ में जाति व्यवस्था की मूल विचारधारा थी। इस संघर्ष के दौरान उनके जीवन का सबसे संवेदनशील अवसर 1996 में तब आया जब ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी शक्ति भारतीय जनता पार्टी की सहायता से मायावती को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया। कुल मिलाकर ऐसा तीन बार हुआ। उनके इस कदम से बहुजन समाज विशेष रूप से दलितों में विचारधारा का संकट खड़ा हो गया। दलितों की धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए जाने लगे। इसकी पराकाष्ठा उस समय देखने को मिली जब मुख्यमंत्री के रूप में मायावती ने गुजरात विधानसभा के पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर खड़े होकर भाजपा को जिताने की अपील की।

कांशीराम की एक अन्य राजनीतिक रणनीति बहुत विवादास्पद रही। उन्होंने मौलिक रूप से यह नारा दिया कि 'अपनी अपनी जाति को मजबूत करो।' शुरू में यह नारा दलितों के अंदर आने वाली विभिन्न जातियों से जुड़ा था जिसके तहत इनके अलग-अलग सम्मेलन किए जाते थे। किंतु धीरे-धीरे यह अपनी मौलिकता से दूर होता चला गया और अंततोगत्वा इसकी परिणति ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन और बनिया सम्मेलन आदि में हो गई। खासकर ब्राह्मण सम्मेलनों में मंच पर जनेऊ बंटने के साथ-साथ परशुराम का फरसा भी नजर आने लगा। इन तमाम उथल पुथल और धारा के विरूद्ध चलने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी के साथ कांशीराम की उत्तराधिकारी मायावती का राजनीतिक कद निरंतर बढ़ता गया। कम से कम उत्तर प्रदेश में मायावती को घटाकर इस समय कोई राजनीति नहीं चल सकती।

यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से बीमारी के कारण कांशीराम आकर्मण्य होते चले थे किंतु बहुजन आंदोलन से उनकी छाया कभी नही हट पाई तमाम उथल-पुथल के बावजूद भविष्य में उन्हें जिस योगदान के लिए याद किया जाएगा, वह है दलितों के बीच सांस्कृतिक क्रांति। यदि कांशीराम बीमारी के चलते अकर्मण्य नहीं हुए होते तो इस वर्ष डॉ अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण की।

पचासवीं वर्षगांठ पर लाखों लोगों के साथ बौद्ध बन जाते, जिसकी घोषणा उन्होंने कई वर्ष पहले कर दी थी।

यद्यपि वे स्वयं ऐसा नहीं कर सके किंतु उनके प्रभाव में जो देशव्यापी सांस्कृतिक परिवर्तन आया उसके परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। बड़े पैमाने पर दलितों ने परंपरागत ब्राह्मणवादी कर्मकांडो को छोड़कर बौद्ध परंपरा को अपनाया है। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जिसके लिए वे जाने जाएंगे वह है दलितो की सत्ता में भागीदारी। कुल मिलाकर कांशीराम हमेशा ही एक गूढ़ पहेली बने रहे। वैचारिक रूप से वे दलितों के लिए वही थे जो कम्युनिष्टों के लिए लेनिन थे और उनकी उत्तराधिकारी मायावती स्टालिन है।

कांशीराम अपने जीवनकाल में हमेशा एक गूढ़ पहेली बने रहे। इसके बावजूद उनका महत्वपूर्ण योगदान, जिसके लिए वे जाने जाएंगे, सत्ता में दलितों की भागीदारी है। वैचारिक रूप से वे दलितों के लिए वहीं थे, जो कम्यूनिस्टों के लिए लेनिन थे जबकि उनकी उत्तराधिकारी मायावती स्टालिन है।

साभार : बहुजन नायक
मान्यवर कांशीराम स्मृति ग्रंथ
पेज संख्या 76 से 77
एस. एस. गौतम

कसूर जमाने का है और जमाना चमचों का है – कांशीराम

(आगरा)

''दलित–शोषित समाज के ऊपर ही हमेशा अत्याचार होते हैं, चाहे वह अम्बेडकर जयन्ती का मौका हो, चाहे देहुली, साढ़पुर और भरतपुर काण्ड हो, मैंने इन बहुत से अत्याचार और अन्याओं से भरी घटनाओं का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है। आशा है आप लोग भी इस ओर ध्यान देंगे, सोचेंगे। मैंने महसूस किया है कि कसूर एक का नही, दो का नहीं, कसूर बहुत लोगों का है और यह जानकर यह दुःख हुआ कि कसूर जमाने का है और जमाना चमचों का है''।

उपरोक्त शब्द बामसेफ के संस्थापक अध्यक्ष मा. कांशीराम जी ने आगरा में 28 व 29 अगस्त को आयोजित बामसेफ के दो दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन के अवसर पर खुले अधिवेशन में भारी संख्या में उपस्थित उत्तर क्षेत्रीय (उ.प्र. व बिहार) के प्रतिनिधियो, कार्यकताओं, डी–एस4 के कार्यकर्ताओं तथा आगरा शहर व निकटवर्ती देहातों से आये महिला व पुरूषों, युवकों एवं छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहे। मा. कांशीराम जी ने बताया कि इस अवसर पर उत्तरी जोन जिसमें उ.प्र. व बिहार को शामिल किया गया है, के प्रत्येक प्रतिनिधि अपने जिलों में किये गये कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस अवसर पर खुला अधिवेशन भी आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर दलित–शोषित समाज के हमारे दूसरे भाईयों को भी मालूम हो कि बामसेफ क्या है तथा क्या कर रही है, तथा ये लोग आगे क्या कुछ कर पायेंगे। उसके साथ–साथ बामसेफ के प्रतिनिधियों को भी यह मालूम हो कि हमारे ही समाज के हमारे भाई, हमारे नेता क्या कर रहे हैं? इस अवसर पर हम सिर्फ सुनते हैं और अपने अतिथि वक्ताओं को अपने ख्यालात रखने का मौका देते हैं।

आपने आगे कहा कि मैंने जोनल कांफ्रेंस के अवसर पर आयोजकों को सलाह दी थी कि इसमें स्थानीय वक्ताओं को ही आमंत्रित किया जाये, क्योंकि देखा यह गया है कि जब बड़े समारोह आयोजित करते हैं, जिनका उद्देश्य बड़ा होता है उस अवसर पर अपने स्थानीय वक्ताओं को समय नहीं दे पाते, उनके विचार सुनने से वंचित रह जाते हैं, इससे हमारा कार्य कुछ अधूरा रह जाता है। यह जानकर खुशी हुई कि आगरा के इस सम्मेलन के आयोजकों ने स्थानीय वक्ताओं को बामसेफ की विचारधारा को ध्यान में रखते हुये आमंत्रित किया है। ये वक्ता बड़े–बड़े भाषण करने वाले नहीं हैं, ऐसे वक्ता हैं जो समझ वाले हैं। वे सिर्फ भाषण करके ही नहीं चले जायेंगे बल्कि आने वाले समय में हमारे साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर इस दलित–शोषित समाज के कार्य में सहयोग देंगे।

मा. कांशीराम जी ने कहा कि इस खुले अधिवेशन में मुझे अधिक नहीं बोलना चाहिए परन्तु डी–एस 4 जो कि संघर्ष के लिए एक संगठन है, के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। बामसेफ तो पढ़े–लिखे कर्मचारियों की संस्था है जिसके ऊपर बहुत से बन्धन है और अपने दायरे के अन्दर रहकर ही कार्य करती है परन्तु डी–एस4 का दायरा बहुत बड़ा है। आपने बताया वैसे तो आगरा में कई बार आया परन्तु जगदीशपुरा में पहली बार आया हूँ। काफी दिन पूर्व जब आगरा में हमारे भाईयों के ऊपर गोलियां चलाई गयी थीं, उस समय आगरा के संयोजक दिल्ली आये। 5 संसद सदस्यों को साथ लेकर आया था, इस जगदीशपुरा की याद ताजा हो जाती है। जगह–जगह हमारे भाईयों के साथ ज्यादतियाँ हुई थीं। जो घायल थे उनसे अस्पताल में मिला, जो जेल में थे जेल में मिला। इसके साथ ही आगरा के आसपास हमारे भाईयों पर अत्याचार हुये हैं। सारे देश में उनकी चर्चा हुई है लेकिन पिछले ही महीने आगरा के पास भरतपुर (राजस्थान) में जो हमारे लोगों के साथ भीषण घटना हुई उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस सबका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आपको कुछ मालूम नहीं है, आपको तो सब मालूम है लेकिन हमारे ही समाज के साथ ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ यह इसलिये होता है कि हमारे में से ही जो लीडर नहीं, नेता नहीं बल्कि चमचे पैदा हुये हैं, जो कि हमारे रहबर नहीं है, यह उसकी देन है। इस समाज में जो चमचे पैदा करने की लहर पैदा हुई है, सबसे बड़ा कसूर उसका है।

24 सितम्बर, 1932 में जब हमारे मसीहा डॉ. अम्बेडकर को पूना में 'पूना पैक्ट' पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर होना पड़ा। इससे पहले हमारे मसीहा हमें अंधकार से निकालकर रोशनी में ले जा रहे थे, लेकिन बीच में गाँधी जी ने टांग अड़ा दी। 20 सितम्बर 1932 को आमरण अनशन रख दिया और 24 सितम्बर 1932 को गाँधी जी के साथ एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसे आज हम 'पूना पैक्ट' के नाम से जानते हैं। यह पूना पैक्ट की देन है जो आज से 50 वर्ष पूर्व हस्ताक्षर किया गया था जिसके कारण हम आज चमचा युग से गुजर रहे हैं। अगर बाबा साहब को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर न होना पड़ता तो आज हमें यह चमचों का जमाना न देखना पड़ता हम 50 वर्ष पहले से ही विधान मंडलों तथा संसद में अपने सही प्रतिनिधि भेज सकते थे। इस पैक्ट के कारण हमारे प्रतिनिधि नहीं बल्कि हममें से ही अन्य जातियों के लोग, या ऐसे लोग जिनके हाथों में इस देश का सारा कारोबार है, कुछ चमचे ढूँढकर हमें दिखाने के लिए विधान सभाओं और संसद में भेजते हैं। राजनैतिक स्तर पर जो चमचे पैदा होते हैं, उनकी देखा–देखी हमारे बड़े अधिकारी भी चमचे बन जाते हैं और बड़े अधिकारी को देखकर छोटे पढ़े–लिखे कर्मचारी अपनी चाल वैसी ही बना लेते हैं और बाबू या पढ़े–लिखे कर्मचारी को देखकर साधारण व्यक्ति सोचता है कि हमारी किस्मत में यही लिखा है।

हमें स्वयं ही चमचा युग से निकलना है

यदि हम दूसरों की तरफ देखते रहेंगे तो हम चमचा युग से कभी नहीं निकल सकेंगे। हमें स्वयं ही इस चमचों के युग से निकलना है। इसके लिए पहले अपने आप को जान लें, सबको मिलकर इसका हल ढूँढना है। 24 सितम्बर 1982 को डी–एस4 की ओर से पूना में इस पैक्ट का धिक्कार करने के लिए सामाजिक आन्दोलन शुरू होने जा रहा है, इससे पहले बाबा साहब पूना पैक्ट के बारे में क्या सोचते रहे, उन्होंने क्या प्रयास किये आदि बातें हमारे प्रकाशनों के माध्यम से आपके सामने आती रहेंगी। पूना से शुरू होकर आगरा और दिल्ली से गुजर कर जालन्धर तक यह लहर चलेगी। पूना में 24 सितम्बर को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक धिक्कार दिवस मनाया जायेगा। उसके बार जगह–जगह धिक्कार परिषदें होंगी। इस मौके पर धिक्कार करके बैठना नहीं, अपनी समस्याओं को पहचानना है और पूरे देश में अपने भाईयों को बताना है ताकि हम उनका सहयोग ले सकें, क्योंकि यह कोई मुठ्ठीभर लोगों का काम नहीं है। हमें इसलिए अपने भाईयों को पूरे देश में तैयार करना है कि हम अपने दलित–शोषित समाज को चमचा युग से निकाल सकें।

पूना पैक्ट में दलितों के साथ धोखेबाजी की गई

मा. कांशीराम जी ने बताया कि बाबा साहब को हमसे बिछुड़े 25 वर्ष से अधिक हो गये हैं। लोग सोचते हैं कि बाबा साहब कुछ देर के लिए हमारे बीच में आयेंगे और हमारी समस्यायें हल करेंगे लेकिन मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब तो अब नहीं आयेंगे, आज तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जो किताबों में लिखा है तथा जमाने से सीखकर अपने आप को तैयार कर दलित–शोषित समाज की समस्याओं को हल करना है, बल्कि देश की बागडोर उनके हाथों में देना है, जिससे कि हम केवल 85 प्रतिशत लोगों का ही नहीं बल्कि 100 प्रतिशत लोगों की समस्याओं का हल ढूँढ सकें। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि पूना पैक्ट से न बाबा साहब खुश थे, न गाँधी जी। बाबा साहब को अपनी मजबूरी के कारण हस्ताक्षर करने पड़े थे क्योंकि उनके लोग लाचार थे और अपने लोगों की वजह से बाबा साहब लाचार थे। गाँधी जी को इसलिए मजबूरी के कारण हस्ताक्षर करने पड़े कि इस देश के मालिक अंग्रेज, अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय देना चाहते थे।

उस समय दोनों सोचते थे कि आने वाले समय में भला होगा। बाबा साहब सोचते थे कि अभी तो मेरे लोग तैयार नहीं हैं, कुछ समय बाद जब तैयार हो जायेंगे तो इस चमचों के जमाने से निकलने का प्रयास करेंगे। गाँधी सोचते थे कि अंग्रेजों को जाने दो, आने वाले समय में चमचों को इस तरह पकड़ में लिया जायेगा कि चमचागिरी से चमचो को भी आनन्द आने लगेगा। आज बाबा साहब का सपना तो सच्चा नजर नही आता लेकिन गांधी जी का सपना तो लगभग सच होता नजर आता है। इसलिए हमारी समस्या और गम्भीर बन गई। 25 वर्ष पहले बाबा साहब के जाने के बाद इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया। हमारी तरफ समस्यायें ही समस्यायें हैं। हमारे हर तरफ दुश्मन हैं इसलिए हम सबको मिलकर ही रास्ता बनाना है जिससे चमचा युग से छुटकारा मिल सके। आगामी 10 अक्टूबर को धिक्कार परिषद में भाग लेने के लिए केवल आगरा शहर के ही नहीं बल्कि सभी आसपास के देहातों से भारी संख्या में लोगों को आगरा आना चाहिए।

मण्डल आयोग की रिपोर्ट

मण्डल आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि अनुसूचित जाति, जन जातियों के अतिरिक्त जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनकी संख्या इनसे भी अधिक है और ये बहुत बुरी हालत में है। वैसे तो इसे काका कालेलकर आयोग ने विवादास्पद ही रखा है–जैसे हम कहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनु जनजाति के साथ धोखा हुआ है, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ तो उससे भी अधिक धोखा हुआ है। जब 1931 में पता चला कि ब्राह्मण, क्षत्रीय और वैश्य संख्या में बहुत कम हैं, ये लोग अंग्रेजों से बोलते हैं कि अब चले जाओ, हमें आजादी दे दो, इसके बाद अंग्रेजों ने लोकतंत्र के बारे में बताया लेकिन ये लोग तो बहुत थोड़े थे, उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ छोटे से समुदाय के ही प्रतिनिधि होंगे तो उन्होंने जाति का कॉलम ही जनगणना से हटा दिया। इसके बाद जगह–जगह कांग्रेस की सरकारें बनीं। 1941 में जनगणना में जाति का कॉलम नहीं था। जाति का कॉलम न होने से कैसे पता चले कि किसका कितना प्रतिशत है, मण्डल कहता है पिछड़े वर्ग की संख्या 52 प्रतिशत है, काका कालेलकर बोलता है 32 प्रतिशत है और सरकार कहती है 22 प्रतिशत है। आज तक इसका निर्णय नहीं हो सका कि पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं?

जिस दिन 6 दिसम्बर 1981 को डी–एस4 की शुरूआत की गयी थी उसी दिन दिल्ली में पिछड़े वर्ग की बैठक थी जिसमें मुझे भी बुलाया गया था। स्टेज पर बैठे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि पिछड़े वर्ग के कितने संसद सदस्य हैं। यह जानकर हैरानी हुई है कि किसी को भी यह मालूम नहीं कि उनके वर्ग के कितने संसद सदस्य हैं। इससे दूसरे लोग ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग के नेता भी धोखे में हैं। मा. शिवदयाल सिंह चौरसिया जो कि काका कालेलकर कमीशन के सदस्य थे, ने बताया कि जब वे साईमन के पास गए तो उनसे कहा कि हमारी भी समस्यायें है। इस पर साईमन ने समस्या पूछी और पूछा कि कितने लोग हैं। उन्होंने बताया कि 100 में से 50 से अधिक हैं तो साईमन ने उत्तर दिया कि आपका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या ओ.बी.सी. की समस्या है। वे पिछले एक साल में चिल्लाते रहे सिर्फ यह जानने के लिए कि मण्डल ने उनकी किस्मत में क्या लिखा है। इसके लिए भी एक वर्ष से अधिक समय लगा। इसके बाद पता चला कि वह रिपोर्ट संसद में न रखकर उसे राज्य सरकारों को भेजी

गयी हैं। वे इसे पहले देखेंगे बाद में संसद में रखी जायेगी।

प्रतिनिधि सम्मेलन

इसी अवसर पर 29 अगस्त को प्रातः 9 बजे से ही प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया इसमें बामसेफ उत्तर भारत क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश तथा बिहार आते हैं, के प्रतिनिधियों ने अपनी यूनिट का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया।

प्रतिनिधि सम्मेलन को आरम्भ करते हुए बामसेफ के संस्थापक मा. कांशीराम जी ने बताया कि पूर्व निश्चय के अनुसार यह सम्मेलन पटना (बिहार) में आयोजित किया जाना था परन्तु बिहार में हम इतनी अधिक प्रगति नहीं कर पाये हैं। इसलिए यह हमें उत्तर प्रदेश में ही यहाँ आगरा में रखना पड़ा। यह उत्तरी क्षेत्र का सम्मेलन है इसलिए उत्तरी क्षेत्र में ही होना चाहिए था। हमने अपनी अखिल भारतीय स्थिति को देखते हुए यह सम्मेलन आगरा में रखना उचित समझा। आपने बताया कि बहुत सी बातों की चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती क्योंकि आज जहाँ हमारा मिशन खड़ा है उसे हानि पहुँचाने जाने की बहुत संभावनाएँ हैं। क्योंकि आज हमारा दुश्मन सीधे हमसे टकराने के बजाय किसी और ढंग से हानि पहुँचाना चाहेगा। इसलिए सब बातों को ध्यान में रखते हुए सब जानकारी नहीं दी जा सकती। आज हमारा मिशन देश में अलग किस्म का माना जाता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोगों को दुःख होगा, वे हानि पहुँचायेंगे।

आपने बताया कि पिछले दिनों जब इंदिरा जी अमेरिका गयीं तो वहाँ पर रहने वाले दलित–शोषित समाज के भारतीयों ने उनसे मिलने के लिए समय माँगा तो इंदिरा जी ने समय देने से मना कर दिया। उन्होंने लिखा था कि हम घर की बात आपको पार्टी देकर करना चाहते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बल्कि भारत में जो हमारे भाई हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बात करना चाहते हैं, परन्तु जब सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी करना पड़ता है। उन्होंने इंदिरा जी का विरोध किया। अमेरिका के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों 'वांशिगटन पोस्ट' व 'वांशिगटन टाईम्स' में मुख पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ। एक ओर अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन तथा इंदिरा जी की फोटे छपी, उसके सामने ही प्रदर्शनकारियों की। उनकी बीच पत्र व्यवहार तथा अखबारों में छपी खबरों की कटिंग उन्होंने हमें भेजी हैं। जिन्हें The Oppressed Indian के सितम्बर के अंक में प्रकाशित किया जायेगा। इंदिरा जी ने अपने पत्र में लिखा है कि आप तो अमेरिका में मजे से रह रहे हैं, आपको भारत के दलितों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस पर उन्होंने एतराज किया कि जो सुखी और सम्पन्न हैं उन्हें तो कुछ सोचना नहीं चाहिए और करना नहीं चाहिए, और जो कमजोर है वे कुछ कर नहीं सकते, हमारे कुछ भाई खुशहाल हैं तथा बाहर हैं, वे जो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें तो करना नहीं चाहिए। दलित–शोषित समाज के आन्दोलन के लिए अधिक साधनों की जरूरत नहीं लेकिन साधनों की जरूरत तो पड़ेगी ही।

मा. कांशीराम जी ने बताया कि इस बार मैंने अपने ऊपर कम और अपने साथियों पर अधिक जिम्मेदारी सौंपी है। भले ही उपलब्धि उतनी अच्छी न हो परन्तु हानि स्थायी नहीं होनी चाहिए, आगरा के साथियों ने इस सम्मेलन को अपने प्रयास से सफल बनाया है। दूसरे साथियों को भी आगरा के साथियों से सबक सीखकर काम करना है।

बामसेफ की सदस्यता नवीनीकरण नहीं की गयी, न ही सदस्य बनाये गये हैं इससे हमें, खासतौर के केन्द्र के सेटअप को बहुत दिक्कत आयी है। बामसेफ तो दलित–शोषित समाज का 'ब्रेन बैंक' है उसे वे स्वयं चला सकते हैं। मुझे अधिक डी–एस4 के बारे में सोचना पड़ा। बामसेफ को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं कराया इसे रजिस्टर्ड कराकर दूसरे साथियों को सौंपकर, दूसरा समाज कार्य Social Action देखूँगा। इसमें इसलिए दिक्कत आ रही थी कि जिस बामसेफ को बनाने में वर्षों मेहनत करनी पड़ी थी वह टूट न जाय और बना बनाया काम बिगड़ न जाये, बामसेफ नैतिक मूल्य Moral Authority से चल रही है। इसीलिए 3000 से अधिक संगठन इसमें अब तक मिल चुके हैं। इस नैतिक मूल्य को कानूनी रूप देने में बहुत कठिनाई जा रही थी।

दूसरे हमने सोचा कि सामाजिक आन्दोलन को अधिक दिन रोका नहीं जा सकता, उसे बिना संगठन के चलाया नहीं जा सकता। 6 दिसम्बर 1981 को डी–एस4 बनाया। 24 सितम्बर 1982 से सामाजिक आन्दोलन शुरू करना है। ज्यादा ध्यान उसी ओर रहा। संघर्ष की जिम्मेदारी डी–एस4 के ऊपर थी लेकिन जब वह 4 माह का बच्चा ही था उसे हरियाणा चुनाव में सीमित राजनैतिक अभियान में भाग लेना पड़ा। तो जब तक बामसेफ रजिस्टर्ड नहीं करा लेते तब तक सदस्यता नहीं बनेगी।

जब पेड़ में लकड़ी जगह–जगह से सूख जाती है जिसे Dead Wood कहते हैं तो उसे काटकर अलग कर दिया जाता है। यदि अधिक ध्यान न दिया जाये तो पेड़ का तना भी सूख जाता है। इसी तरह सूखी लकड़ी की तरह संगठन को नष्ट किये जाने का डर रहता है। अभी वह मौका है जिसका हमें खतरा है.... इसीलिए बामसेफ को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है।

बहुत से लोग हमारे काम को बुरा समझते हैं, वे उसे रोकने का प्रयास करेंगे। यह एक चुनौती होगी और कोई भी आन्दोलन बिना चुनौती के चल नहीं सकता। अगर कोई आन्दोलन आसानी से चलता है तो वह आसानी से ही गिर जाता है। वे लोग जो संघर्ष से आगे बढ़ते हैं वे आसानी से पीछे नहीं हटते। पिछले ढाई माह में दलितों के लगभग 70 पत्रों ने हमारे खिलाफ लिखा है। कुछ ने लिखा है, हरियाणा चुनाव में कांशीराम ने बाबूजी को हरा दिया। महाराष्ट्र के पत्रों ने लिखा, कि बामसेफ और डी–एस4 आर.पी.आई. को खत्म कर रहे हैं। उर्दू के पत्रों में लिखा है कि यह दोनों संगठन मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ आना चाहते हैं। उनके पास उन पत्रों की प्रतियाँ भेजी गयी हैं। इन 70 पत्रों ने जो हमला किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। आने वाले दो–ढाई महीने में हमारा मिशन इतना आगे बढ़ जायेगा कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। दिल्ली में हिन्दी, अंग्रेजी के समाचार पत्रों का होना जरूरी है, क्योंकि हमारे आन्दोलन को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग स्वीकार करेंगे। मिशन को बढ़ाने में 'दि ऑप्रेस्ड इण्डियन' का बड़ा हाथ है।

मा. कांशीराम जी ने अंत में सम्मेलन के आयोजकों को बधाई दी। आपने कहा कि मुझे डर था कि मेरे रूचि न लेने से कहीं सम्मेलन को धक्का न लगे। परन्तु खुशी की बात है कि यह बहुत सफल रहा है। आपने इससे मुझे दूसरा सामाजिक आन्दोलन का कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा। इसके साथ ही आशा व्यक्त की कि सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ कार्य में लग जायेंगे। जिससे कि दलित–शोषित समाज के मिशन को, बाबा साहब के मिशन को समय से पूरा किया जा सके।

सम्मेलन को जनाब ए.क्यू रुमी, नन्द किशोर प्रेमी, महाराज सिंह बघेल, श्याम कुमार करूणेश वाल्मीकि, मास्टर मानसिंह (सभी आगरा), एन.एल. प्रभाकर (पटना), सीताराम शास्त्री (वाराणसी), रामकृपाल, एम.बी.विमल (लखनऊ), के.आर. शशि (झांसी), राजाराम आनन्द (अलीगढ़), रामसमुझ सिंह (फैजाबाद), के.एल.अरूण (सुल्तानपुर), सी.बी. चौरसिया (प्रतापगढ़), माता प्रसाद प्रजापति (उरई), महावीर प्रसाद यादव (बनारस), ओ.पी. आर्य (मुजफ्फर नगर), आर.ए.रावत (उन्नाव), अजीत राम (सहारनपुर), रूपसिंह (देहरादून), धर्मसिंह (मेरठ), आर. एन. आर्या (मथुरा), हरिओम शरन (मैनपुर), बसंतराम दाने (गाजीपुर), पन्नालाल दोहरे (इटावा), आदि ने सम्बोधित किया।

अन्त में आगरा बामसेफ यूनिट के मा. जीवाराम ने सभी प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। समस्त कार्यक्रम का संचालन बामसेफ यूनिट के अध्यक्ष मा. बाबूलाल ने किया।

(बहुजन संगठक, वर्ष 3, अंक 15, 27 सितम्बर, 1982)

साभार :
मा. कांशीराम साहब
के ऐतिहासिक भाषण खण्ड–2
पेज संख्या 48 से 56 तक
ए. आर. अकेला

हमेशा अंतिम शब्द न बोलें

''हर व्यक्ति को सुनने में तेज, बोलने में धीमा और गुस्सा होने में सुस्त होना चाहिए।''

हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ, आप बॉस हैं, मैनेजर हैं – और क्या मैं कह सकता हूँ, बहुत अच्छे मैनेजर हैं – लेकिन आपको हमेशा अंतिम शब्द बोलने या अपनी बात मनवाने क जरूरत नहीं है। आपको खेल के मैदान में खेलते बच्चो की तर व्यवहार नहीं करना चाहिए।

अगर आपकी टीम के लोग सबसे सामने आपसे खुलकर असहमत होते हैं, तो इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं : या तो उनमें इतना आत्मविश्वास है कि वे बहस कर सकते है (जिस मामले में आपको इसकी सराहना करनी चाहिए) या फिर वे सीमाएँ लाँघ गए हैं और आप उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त अनुशासन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यह चेतावनी का संकेत हो सकता है कि चीजें गड़बड़ हैं या फिर इस बात का कि चीजें बहुत अच्छी हैं – सिर्फ आप ही इसका मूल्यांकन कर सकते हैं।

अगर उन्होंने हद पार कर दी है और यह अनुशासन का मामला है, तो स्पष्ट तौर पर आपको इससे अकेले में निबटना होगा। याद रखें, आपका स्टाफ वयस्क है। आपको लोगों को अपनी असली भावनाएँ व्यक्त करने का मौका देना होगा। इसका मतलब है कि कई बार वे असहमत हो सकते हैं, बहस कर सकते हैं और चिड़चिड़े दिख सकते हैं। यह एक अच्छी टीम में अच्छी तरह काम करता है, जहाँ लोग अपना विरोध व्यक्त कर देते हैं, लेकिन कोई भी बुरा नहीं मानता है। जाहिर है, यह खराब टीम में काम नहीं करता है।

टीम में काम नहीं करता है।

हमेशा अंतिम शब्द बोलने या अपनी बात मनवाने से फायदा नहीं होता है। यह हमेशा सही या उचित नहीं होता है कि हर छोटी–छोटी बात पर स्टाफ की गलती सुधारी जाए। चाहे वे सही हों या गलत, कई बार सबसे अच्छा यही होता है कि उसे अनदेखा कर दिया जाए। कौन सही चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनमें आपको अंतिम शब्द बोलना है और कौन सी चीजें दरअसल महत्वपूर्ण नहीं हैं, आपको तो बस उनके बीच का फर्क मालूम होना चाहिए।

साभार : मैनेजमेंट के नियम
पेज संख्या 79
रिचर्ड टेंपलर

दलित महिलाओं के जीवन की वास्तविकता और महिला आन्दोलन का उत्तरदायित्व

दलित महिलाओं के जीवन की वास्तविकता पर चर्चा करने से पहले 'दलित' शब्द की परीभाषा एवं पृष्ठ भूमि देखना उपयुक्त होगा भारत में दलित शब्द का प्रयोग शताब्दी से हो रहा है और पिछली चार शताब्दियों में यह शब्द 'दलित पैंथर' तथा महाराष्ट्र के दलित लेखकों द्वारा किसी भी अन्य वर्ग या स्वयं के मुकाबले अधिक प्रसिद्ध हुआ है। सामान्यतया एक भारतीय के लिए दलित शब्द से अभिप्राय उन लोगों से हे जो अछूत, पद–दलित तथा शोषित है। दलित पैंथर ने अपने घोषणा–पत्र में "दलित " शब्द की परिभाषा मे अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त शूद्रों, स्त्रियों, गैर यहूदियों तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया है, जबकि दूसरे गुटों का मत अछूतों तक ही सीमित है। चूंकि 1949 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया था, इसलिए कानूनी रूप से भारत में कोई अछूत नहीं है। लेकिन यथार्थ में अस्पृश्यता अभी भी मौजूद है और भारतीय उपमहाद्वीप के करोड़ो लोग, आज भी विभिन्न धर्मो को मानते हुए अछूत समझे जाते हैं। वे उन असंख्य निर्योग्यतओं के शिकार हैं, जो उस अस्पृश्यता से पैदा हुई हैं जिसे हिन्दू धर्म शास्त्रों में दैवी स्वीकृति प्राप्त हैं, जिसका अर्थ है, "कुचला हुआ" पददलित इत्यादि है। भारत के प्रसिद्ध ईसाई, विद्वान डा0 जेम्स मैसी ने बाइबल (पुराना नियम) के प्रयुक्त शब्द 'Dalot' को "दलित" शब्द को उद्गम के रूप में खोजा है। लेकिन दलित' शब्द अपनी तमाम अपर्याप्ताओं के बावजूद मूलतः अछूत लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो भेदभाव और उत्पीड़न के शिकार है। इस शब्द के प्रयोग का दूसरा कारण यह है कि स्वयं अछूतों ने इस नाम को अपनाया है, जबकि अन्य सभी नाम जैसे अन्तवासिन अन्त्यज, चण्डाल, पुक्कस, पंचम दलित वर्गों को 'हरिजन' बनाते हैं। (जो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था) अनुसूचित जाति एक वैधानिक नाम है जिसे सन् 1930 में सिविल सेवा के अधिकारियों ने गढ़ा था और जिसे सन् 1935 तथा 1949 में संविधान निर्माताओं ने अपनाया था। ये सारे नाम उन अधिकारिक लोगों द्वारा दिए गये थे, जो सत्ता में थे। यद्यपि अनुसूचित जाति नाम इसलिए अभी भी स्वीकारणीय है, क्योंकि इसके साथ द्वेष, घृणा अथवा अपमान की कोई अभिव्यंजना नहीं जुड़ी है। परन्तु 'हरिजन' शब्द सचमुच एक गाली है, और इसलिए दलितों ने उसे खारिज कर दिया है। केन्द्र सरकार ने भी सरकारी अभिलेखों तथा अपने प्रचार माध्यमों में इस शब्द के प्रयोग को गैर कानूनी घोषित किया है।

अनुसूचित जातियों को कृत्रिम रूप से अल्पसंख्यक बनाया गया हैं यह सजातीय समूह नहीं हैं। इनमें 900 से अधिक जातियां हैं। इन वर्गो को धार्मिक विधानों द्वारा स्थापित जाति व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा सम्पत्ति एंव शस्त्र धारण करने के अधिकारों से वचंति रखा गया है। इसी के फलस्वरूप आज वे सर्वाधिक अशिक्षित निर्धन एवं पिछड़ी हुई है। दलित महिलाएं इस दुर व्यवस्था की सबसे बुरी शिकार हुई है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दलित वर्ग वह अछूत वर्ग है जो सदियों से पद्दलित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, धर्मच्युत, बहिष्कृत वर्ग रहा है जो वर्तमान में भारत की कुल आबादी का लगभग 16 प्रतिशत है। दलित महिलाएं अछूत होने तथा महिला होने के कारण दोहरी मार का शिकार रही है।

दलित महिलाएं बनाम सवर्ण महिलाएं

यद्धपि यह सही है कि दलित महिलाएं अशिक्षा, गरीबी, कुपोषण, यौन शोषण एवं श्रमिक के रूप में शोषण का सर्वाधिक शिकार रही हैं परन्तु कुछ मामलों में उनकी स्थिति सवर्ण महिलाओं की अपेक्षा बहुत बेहतर रही है। एक ओर जहां सवर्ण महिला के लिए विधवा होने पर सती हो जाने या वेश्यावृष्टि में चले जाने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहीं दलित महिला श्रमिक होने के नाते विधवा हो जाने पर भी अपना जीवन यापन कर सकती थी। सवर्ण महिलाओं को तलाक तथा विधवा विवाह का अधिकार प्राप्त नहीं था। जब कि दलित महिला तलाक और विधवा विवाह की अधिकारिणी थी। एक ओर जहां दहेज प्रथा के कारण सवर्ण महिला माँ–बाँप पर एक बोझ समझी जाती थी और कई बार अविवाहित भी रह जाती थी, वहीं दलित महिला दहेज के अभिशाप से युक्त थी और मां बाप पर बोझ न हो कर, एक कमाऊ व्यक्ति के रूप में सम्मानित थी। एक ओर जहां सवर्णों में कन्या हत्या आम प्रचलित थी, वहीं दलित महिला इस क्रूरता से बची हुई थी। सवर्ण महिलाएं जहां घर की चार दीवारी में बंद रहती थी वहींदलित महिलाएं घर के बाहर जाकर परिवार के लिए अर्जन करने के लिए स्वतंत्र थी।

इस सब के बावजूद कुछ मामलों में दलित महिलाएं सवर्ण महीलाओं की अपेक्षा अधिक शोषित, अशिक्षित और उत्पीड़ित थी। यह भी सही है कि दलित महिलाओं की समस्याएं कुछ पहलुओं को छोड़ कर सामान्य महिलाओं से काफी भिन्न है। अतः उनका उपचार भी भिन्न होना जरूरी है।

दलित महिलाओं की समस्याएं :

दलित महिलाओं की समस्याओं के तीन विभिन्न कारण हैं। एक जाति (अछूत होने) के कारण दूसरा श्रमिक वर्ग होने के कारण और तीसरा पितृसत्ता के कारण है। आइए इन पहलुओं से दलित महिलाओं के वास्तविक जीवन का विवेचन करें।

1. जाति के कारण : अछूत होने के कारण दलित महिलाएं छुआछूत, नागरिक सुविधाओं (पानी के श्रोत, खानपान की दुकानों, मंदिरों आदि) के प्रयोग में भेदभाव का शिकार हैं। इसी कारण वे कठिन, खतरनाक, घटिया तथा गंदे पेशे करने के लिए बाध्य है। घर से बाहर काम करने के कारण सवर्ण पुरूष उन्हें ढीले चरित्र की मानते हैं और इसी कारण उनके साथ की गई छेड़छाड़ और बलात्कार को उतना बड़ा पाप या अपराध नहीं माना जाता है जितना कि सवर्ण महिलाओं के साथ। इसी कारण दलित महिलाओं के साथ रोजाना होने वाले बलात्कारों को मीडिया में वैसा स्थान नहीं दिया जाता जैसा कि सवर्ण महिलाओं के मामले में दिया जाता है। यद्यपि पूर्व में सवर्ण सामंतों द्वारा दलित महिलाओं का उनकी परिस्थिति वश यौन शोषण किया जाता रहा है परन्तु इधर कुछ समय से जब से दलितों ने सामन्तों द्वारा किए जाने वाले शोषण का प्रतिरोध एवं नागरिक तथा मानव अधिकारों के प्रयोग की दावेदारी जीताने के प्रयास शुरू किए हैं तभी से उनके मनोबल को तोड़ने के लिए दलित महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार किए जाने लगे हैं उनके घर जलाए जाते हैं, हत्याएं की जाती है और सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। इस सांमती उत्पीड़न की सब से बड़ी शिकार दलित महिलाएं ही होती है। उनकी गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास के कारण कुछ प्रांतों जैसे केरल, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में उन्हें देवदासिया बनाकर धर्म के नाम पर वेश्यावृत्ति का शिकार बनाया जाता है। उन्हें जोगिन, बस्सई, पयरजी, झूटे, आराधी, मुरली, आदि नाम दिय गए हैं।

दलित महिलाओं में शिक्षा का बहुत आभाव है जो कि उनकी गरीबी और सदियों से शिक्षा के अधिकार से वंचित होने के कारण है। 1991 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सवर्ण महिलाओं की शिक्षादर 39.29 प्रतिशत के मुकाबले में दलित महिलाओं का शिक्षा दर केवल 23.76 प्रतिशत है। उ0 प्र0 में यह 10.69 प्रतिशत, राजस्थान में 8.31 प्रतिशत तथा बिहार में 7.07 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्र में सवर्ण महिलाओं के शिक्षा दर 60 प्रतिशत की अपेक्षा दलित महिलाओं का शिक्षा दर 30 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह 39 प्रतिशत की अपेक्षा 16 प्रतिशत हैं। कुछ जनपदों में दलित महिलाओं का शिक्षा दर केवल 2 प्रतिशत है। इस प्रकार अशिक्षा के कारण वे कई प्रकार के अंधविश्वास एवं अज्ञानता का शिकार है और सरकारी नौकरियों और बेहतर पेशे अपनाने में असमर्थ है। यौन शोषण के कारण वे कई प्रकार के रोग जैसे एड्स, सिफलिस आदि की भी शिकार हो जाती है। स्कूलो तथा विश्वविद्यालयों में दलित छात्राओं के साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है तथा उन्हें पढ़ने से हतोत्साहित किया जाता है।

छुआछूत के कारण ही उन्हें कठिन एवं घटिया पेशे जैसे भंगी, धोबी, खेतिहर मजदूर, भवन निर्माण एवं पत्थर तोड़ना आदि अपनाने पड़ते हैं। वे दाई, कचरा बीनने कलाबाज, सब्जी बेचने, दर्जी एंव जूता बनाने का काम करती है। यह देखा गया है कि सवर्ण महिलाएं ही दलित महिलाओं से सबसे अधिक छुआछूत एवं भेदभाव करती है तथा उनका शोषण भी करती हैं जबकि वे एक तरफ अपने विरुद्ध हो रहे भेदभाव की शिकायत भी करती हैं और उससे मुक्ति के लिए आन्दोलन भी चला रही है।

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

2. **श्रमिक होने के नाते समस्याएं :** जैसा पूर्व में कहा गया है अधिकतर दलित महिलाएं श्रमिक है। उनकी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य सहभागिता 2.6 प्रतिशत है जब कि सवर्ण महिलाओं की 22.25 प्रतिशत है। दलित महिलाएं अधिकतर प्राथमिक क्षेत्र (कृषि) में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त वे ईट भट्टा, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में भी लगी है। मजदूरी का यह क्षेत्र पूर्णतया असंगठित क्षेत्र है जिसके कारण उन्हें संगठित क्षेत्र कारखानों मिलों आदि में लगे मज़दूरों वाले लाभ एवं संरक्षण उपलब्ध नहीं है। उनकी कोई यूनियने भी नहीं है जो उनके मामलों को उठा सके। यद्यपि सरकारों ने न्यूनतम मज़दूरी घोषित कर रखी है परन्तु वह उन्हें नहीं मिलती है। उन्हें पुरूषों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता है। कार्यस्थल जैसे खेत, कारखानों आदि में उनका यौन शोषण किया जाता है। बड़ी–बड़ी परियोजनाओं वाले स्थलों पर सरकारी कर्मचारियों एवं ठेकेदारों द्वारा उनकी गरीबी, बेरोजगारी और अज्ञानता का नाजायज फायदा उठाया जाता है। बहुत से लोग उनसे अल्प अवधि के लिए अवैध विवाह करके बच्चे पैदा करके उन्हें दोहरा बोझ ढोने के लिए छोड़ जाते हैं। कई जगह उन्हें नौकरी दिलाने के बहाने एवं विवाह आदि करके तथा अपहृत करके वेश्यालयों में वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया जाता है। कुछ जगहों पर मां बाप गरीबी के कारण दलालों के हाथों अपनी लड़कियों को बेच देते है। काम की तलाश में गांव छोड़कर शहरों में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने के कारण भी दलित महिलाओं को परिवार चलाने के लिए बहुत कष्ट झेलना पड़ता है क्योंकि वहां पर पानी, शौच आदि की उचित व्यवस्था नहीं होती। जो दलित महिलाएं भंगिन, धोबी आदि का कार्य करती है उन्हें प्रातः ही घर से चले जाना पड़ता है जिसके कारण उनके बच्चे घर पर उचित देखभाल के बिना रहते हैं जो कई प्रकार की बीमारीयों और हादसों का शिकार हो जाते हैं। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पत्थर तोड़ने, खादानों एंव ईट भट्टों पर काम करने वाली महिलाओं को बहुत कठिन शरीरिक काम करना पड़ता है जिसके बदले में उन्हें पुरूषों से कम वेतन मिलता है। इस प्रकार दलित महिलाएं श्रमिक के रूप में भी भेदभाव एवं शोषण का शिकार हैं। सरकार, द्वारा उनके कल्याण एवं संरक्षण हेतु बनाए गए कानून एवं योजनाएं केवल कागज पर ही चल रहीं हैं। वास्तव में दलित महिला श्रमिक बहुत बुरी तरह से शोषित एवं उत्पीड़ित है।

घर पर उचित देखभाल के बिना रहते हैं जो कई प्रकार की बीमारीयों और हादसों का शिकार हो जाते हैं। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, पत्थर तोड़ने, खादानों एंव ईट भट्टों पर काम करने वाली महिलाओं को बहुत कठिन शरीरिक काम करना पड़ता है जिसके बदले में उन्हें पुरूषों से कम वेतन मिलता है। इस प्रकार दलित महिलाएं श्रमिक के रूप में भी भेदभाव एवं शोषण का शिकार हैं। सरकार, द्वारा उनके कल्याण एवं संरक्षण हेतु बनाए गए कानून एवं योजनाएं केवल कागज पर ही चल रहीं हैं। वास्तव में दलित महिला श्रमिक बहुत बुरी तरह से शोषित एवं उत्पीड़ित है।

3. **पितृसत्ता के कारण समस्याएं :** जिस प्रकार पूरा समाज पितृसत्तात्मक एवं पुरूष प्रधान समाज है उसी प्रकार दलित समाज भी पुरूष प्रधान समाज है यद्यपि दलित महिलाएं पुरूष के बराबरी की कमाई करने वाली है फिर भी उन्हें परिवार में निचले स्तर पर ही रखा जाता है। पुरूष उनका बराबर की कमाई की अपेक्षा तो करते हैं परन्तु उसे बराबरी देने को तैयार नहीं है। परिवार में दोयम दर्जे का व्यक्ति होने के कारण वे कुपोषण, लिंग भेद, घरेलू एंव बाहरी काम का अत्याधिक बोझ होने के कारण दिन भर कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती हैं। पुरूषों की शराबखोरी के लिए उन्हें कमाकर पैसा भी देना पड़ता है। बल्कि शराबी पति के हाथों दुरव्यवहार भी झेलना पड़ता है। अनपढ़ता के कारण उसे अधिक बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं और कुपोषण के कारण कई बीमारियो भी झेलनी पड़ती है। लड़कों को वरीयता दिये जाने के कारण लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती है। यद्यपि पूर्व में कहीं–कहीं दलित वर्गों में दहेज प्रथा के स्थान पर वर पक्ष द्वार वधू पक्ष को वधू का मूल्य देने की प्रथा थी परन्तु अब उनमें भी कई जगह हिन्दुओं की नकल करने के कारण दहेज प्रथा का चलन शुरू हो गया है जिससे लड़की को भी बोझ समझा जाने लगा है।

दलित महिलाओं को घर के बाहर काम करना पड़ता है सवर्ण पुरूष उन्हें ढीले चरित्र की मानते हैं कभी–कभी दलित पुरूष भी अपनी पत्नियों को चरित्रहीन मानकर उनके साथ दुरव्यवहार करते हैं।

उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन से स्पषट है कि दलित महिलाएं यद्यपि कुछ मामलों में सवर्ण महिलाओं से काफी बेहतर हैं परन्तु दलित होने के नाते उनकी समस्याएं अछूत, श्रमिक एवं लिंग भेद के कारण सवर्ण महिलाओं की समस्याओ से गुरूतर है। दलितों के मसीहा डा0 अंबेडकर ने दलित महिलाओं के उद्धार के लिए सन् 1927 से लेकर बराबर सममेलन किए थे और दलित महिलाओं को एक और अपने को सुधारने और दूसरी ओर उन पर घर में और घर के बाहर होने वाले अत्याचारों के विरूद्ध संगठित होकर लड़ने का भी आवाहन किया था। वे हर सम्मेलन के साथ दलित महिलाओं का भी आवाहन किया था। वे हर सममेलन के साथ दलित महिलाओं का भी सम्मेलन करते थे। उन्होने हिन्दू नारी की मुक्ति के लिए हिन्दू कोड बिल पेश किया था जो बाद में हिन्दू विवाह कानून तथा अन्य कानूनों के रूप में पारित हुआ। हिन्दू कोड बिल को लेकर ही उन्होने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अतः हिन्दू नारी को उनके योगदान को नहीं भुलाना चाहिए।

बाबा साहेब ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक "जाति भेद का विनाश" तथा "हिन्दू नारी का उत्थान और पतन" लेख में स्पष्ट रूप से सिद्ध किया था कि हिन्दू नारी के पतन के लिए हिन्दू धर्म शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित ब्राह्मणवाद एवं जाति व्यवस्था पूर्णतया जुम्मेदार हैं। अतः उनका मानना था कि जब तक हिन्दू धर्म शास्त्री की गलत स्थापनाओं को नकारा नहीं जाता तब तक ब्राह्मणवाद की पकड़ ढीली नहीं की जा सकती है और हिन्दू नारी का उत्थान नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने सजातीय विवाह प्रथा को भी जाति व्यवस्था

का आधार माना है जिसे त्यागे बिना न तो जाति व्यवस्था समाप्त हो सकती है और न ही हिन्दू नारी का उत्थान ही संभव है। अतः उनके अनुसार ब्राह्मणवाद हिन्दू नारी एवं दलित नारी का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी कारण सवर्ण महिलाएं स्वयं तो पीड़ित हैं ही, वे दलित महिलाओं के साथ भी छुआछूत एवं भेदभाव का बर्ताव करती हैं।

महिला आन्दोलन का उत्तरदायित्व

वर्तमान में महिला आन्दोलन मुख्यता सवर्ण महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। जैसा कि पूर्व में अंकित किया गया है कि कुछ मामलों को छोड़कर दलित महिलाओं की समस्याएं सवर्ण महिलाओं से काफी भिन्न हैं, अतः महिला मक्ति हेतु चलाए जा रहे बड़े आन्दोलन के साथ–साथ दलित महिलाओं की मुक्ति हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु विशेष प्रोग्राम योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

अतः वर्तमान महिला आन्दोलन को दलित महिलाओं की मुक्ति हेतु निम्नलिखित विशेष प्रयास करने चाहिए :

1. छूआछूत एंव जातपात के खिलाफ एक जबरदस्त आन्दोलन चलाया जाना चाहिए। सवर्ण महिलाओं को भी अपने आप को इसके व्यवहार से पूर्णतया मुक्त करना चाहिए।
2. क्योंकि हिन्दू धर्म शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित ब्राह्मणवाद एवं हिन्दू धर्म शास्त्रों /स्मृतियों के नारी विरोधी विधानो को नकारने हेतु सशक्त आन्दोलन चलाया जाना चाहिए धार्मिक कट्टरपंथी एवं हिन्दुत्व के नाम पर उनकी पुनरस्थापना के प्रयासों के खिलाफ भी महिला आन्दोलन को लाम बंद होना चाहिए।
3. दलित महिलाओं में शिक्षा, सेहत, सफाई एवं परिवार नियोजन, के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
4. दलित महिला श्रमिकों को संगठित करके यूनियनें आदि बनाई जानी चाहिए ताकि वे अपने शोषण के विरूद्ध संगठित प्रयास का सकें।
5. दलित महिला श्रमिकों को संगठित करके यूनियनें आदि बनाई जानी चाहिए ताकि वे अपने शोषण के विरूद्ध संगठित प्रयास कर सकें। दलित महिलाओं को महिला एवं श्रमिक के रूप में अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए।
6. दलित महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण आदि देकर गंदे पेशों से मुक्त कराया जाना चाहिए तथा उन्हें दूसरे सम्मानजनक पेशे अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
7. दलित महिलओं के यौन शोषण एवं बलात्कार के मामलों को महिला आयोग एवं महिला आन्दोलनकारियों द्वारा प्रमुख रूप से उठाया जाना चाहिए ताकि प्रभावी कानूनी कार्यवाही हो सके।
8. दलित महिलाओं के शक्तिकरण हेतु भूमि सुधारों को ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए और सम्पत्ति पर महिलाओं का भी बराबर का कानूनी हक दर्ज होना चाहिए। उन्हें स्वतः रोजगार हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
9. दलित महिलाओं को महिला आन्दोलन में भागीदार बनाया जाना चाहिए तथा नेतृत्व में भी उचित हिस्सेदारी दी जानी चाहिए।
10. सवर्ण महिलाओं एंव दलित महिलाओं की वैवाहिक स्थिति को बदलने एवं जाँत–पाँत को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

संकल्नकर्ता

एस.आर. दारापुरी लखनऊ

पांच पैसे की कहानी : मनोहर आटे

वर्ष 1972 में पूना में हमने अपना छोटा–सा कार्यालय खोला, शायद दलित बहुजन समाज की मूवमेण्ट का वह पहला ही कार्यालय होगा। उस समय मैं रेलवे मेल सर्विस अर्थात आर.एम.एस. में नौकरी करता था। नौकरी के लिए मुझे रोज पूना से मुम्बई जाना पड़ता था। कांशीरामजी भी मेरे साथ मुंबई आना–जाना करते थे, उस समय आर.एम. एस का लाल डिब्बा हमारा छोटा सा कार्यालय बन गया था। चलती ट्रेन में संगठन को बढ़ाने के लिए हमारी योजनायें बनती रहती थीं। कांशीरामजी के पास पूना मुंबई का रेल पास था। दोनों अपनी साईकिल से पूना रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे। वहाँ साईकिल स्टैण्ड पर साईकिल रखकर महालक्ष्मी एक्सप्रेस से मुम्बई रवाना होते थे। महालक्ष्मी एक्सप्रेस पूना से सुबह साढ़े सात बजे निकालती थी और दोपहर बारह बजकर पांच मिनट पर मुंबई पहुंचती थी। शाम को यहीं गाड़ी 5 बजकर 55 मिनट पर वी.टी. स्टेशन से छूटती थी और रात को 10 बजकर 20 मिनट पर पूना पहुँचती थी। कांशीरामजी और मैं इसी गाड़ी से सफर करते थे हमारी मुंबई में कांशीराम जी कई लोगों से मिलकर संगठन की नींव मजबूत करने का काम कर रहे थे। शाम को वी.टी. में हमारी रोज की दौड़ धूप की जिन्दगी थी मुलाकात होती थी और हम साथ–साथ महालक्ष्मी से पूना लौटते थे। फिर पूना स्टेशन से साइकिल पर अपने कार्यालय की ओर चल पड़ते थे। रास्ते में किसी होटल में रूककर खाना खाते थे और फिर अपने कार्यालय जाकर तिरपाल बिछाकर सो जाते थे।

आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ। बम्बई से मैं और कांशीराम जी महालक्ष्मी ट्रेन से पूना आये। रात 10. 30 बजे अपनी–अपनी साईकिलें निकालकर हम स्टेशन के बाहर आये। हमारा कार्यालय स्टेशन से 15–20 मिनट की दूरी पर था। बातें करते हुए हम पैदल ही चल रहे थे हम हमेशा स्टेशन के पास के वन्दना होटल में खाना खाते थे। यहाँ खाना सस्ता मिलता था। आज मेरी जेब में पैसे नहीं थे सो मैंने सोचा कि कांशीरामजी के पास पैसे होंगे और हम खाना खा लेंगे। मगर वन्दना होटल के सामने से गुजरने पर भी कांशीरामजी नहीं रूके। मैंने सोचा आज उनका मटन खाने का मूड होगा तो न्यूयार्क होटल मे जाना होगा। कांशीराम जी को मटन की डिश बहुत पसन्द थी। तब भी उनके पास पैसे होते थे तब वे मुझे लेकर न्यूयार्क होटल में आते थे। होटल का नाम 'न्यूयार्क होटल' था, हां वहां मटन की डिश लजीज मिलती थी और मटन के पिसेस भी ज्यादा मिलते थे। 'न्यूयार्क होटल के सामने से गुजरते हुए कांशीराम जी ने मेरी ओर देखा और मैंने उसकी ओर देखा। मगर दोनों में से कोई नहीं रूका। मन ही मन मैं समझ गया कि कांशीराम जी के पास पैसे नहीं हैं और कांशीराम जी भी समझ गये कि मेरी जेब खाली है। हमने एक–दूसरे को कुछ नहीं कहा और अपने कार्यालय लौटे। उस दिन केवल पानी पीकर हम सो गये। दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी। मगर कांशीरामजी को कार्यकताओ की बैठक के लिये मुंबई जाना था। सुबह वे तैयार हो गये। आज छुट्टी का दिन होने के कारण मैं आराम से सो रहा था।

''आटे, में चलता हूँ'' अपनी छोटी–सी अटैची लेकर बाहर जाते हुए कांशीराम जी ने कहा।

''हाँ भाई... जरा दरवाजा लगा देना... आज मैं आराम से उठने वाला हूँ'' नींद में ऊँघते हुए मैंने कहा।

दरवाजा लगाकर कांशीरामजी चले गये। अभी पांच मिनट भी नहीं हुए थे कि दरवाजा खोलकर कांशीरामजी वापिस लौटे।

''क्यों भई क्या बात है.... वापिस क्यों लौटे?'' मैंने पूछा।

''अरे भाई आटे... कुछ पैसे है तेर पास?'' कांशीराम जी ने पूछा।

''नहीं... बिल्कुल नहीं है।'' मैने कहा।

''देख तो.... इधर उधर कुछ पड़े होंगे.....'' उन्होंने आग्रह किया।

मैं जानता था कि ऑफिस में पैसे नहीं है.... फिर भी मैने ऑफिस के ड्रायर वगैरा खोलकर देखे, मगर पैसे नही मिले।

''नहीं साहब.... कुछ भी पैसे नहीं हैं।'' मैंने निराश होकर कहा।

''कम से कम पाँच पैसे तो होंगे।'' उन्होंने फिर कहा।

मैंने फिर ड्रायर ढूंढे मगर पाँच पैसे भी नहीं मिले।

''नहीं साहब... पाँच पैसे भी नहीं हैं, मगर पाँच पैसे की क्या जरूरत पड़ी?'' मैंने पूछा

''अरे यार... मेरे साईकिल में हवा नहीं है, हवा भरने के लिये पाँच पैसे तो लगेंगे ही।'' कांशीराम जी ने कहा।

''मेरी साईकिल ले जाओ'' मैंने कहा।

''तुम्हारी साइकिल भी देख ली.... उसमे भी हवा नहीं है... ठीक है... गाड़ी का समय हो रहा है.... मैं चलता हूँ।'' कहते हुए कांशीराम जी लगभग दौड़ते हुए निकल गये।

टेरेस पर खड़े होकर मैंने देखा गाड़ी पकड़ने की जल्दी में कांशीराम जी हाथ में अटैची पकड़कर स्टेशन की ओर दौड़ रहे थे।

आज कांशीराम हवाईजहाज से देश के कोने–कोने मे सफर करते हैं। हेलीकाप्टर किराए पर लेकर भ्रमण करते हैं। जब मैं आज की मूवमेण्ट देखता हूँ तो मुझे वह दिन याद आता है, जब पांच पैसे के अभाव मे कांशीराम जी को स्टेशन की ओर दौड़ना पड़ा था। यह पल याद आते ही आंखों में बरबस आंसू तैर जाते हैं।

साभार :
बहुजन नायक
मान्यवर कांशीराम स्मृति ग्रंथ
पेज संख्या 59 से 60
एस. एस. गौतम

ज्ञान प्राप्ति के साधन

किसी वस्तु को जानने के लिये आदमी अपनी पाँच ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करता है। किसी पत्थर, पेड़, पानी आदि वस्तु को जानने के लिये आँखों से देखकर, सुनकर छूकर, सूंघ कर या चख कर पता लगा लिया जाता है। यही पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ अन्य जीव–जन्तुओं में भी हैं। अन्य जीव–जन्तु भी इसी प्रकार देखकर छूकर सूंघकर, सुनकर या चख कर पता लगाते हैं। परन्तु एक दूसरी प्रकार का महसूस करना भी है। जिसका पाँच ज्ञानेन्द्रियों से कोई सम्बन्ध नहीं है वह है बुद्धि की कल्पना करना, बुद्धि या दिमाग में कोई विचार सोचा समझा जा सकता है। आप उस विचार को न छू सकते हैं, न सूंघ सकते हैं न देख सकते हैं, न चख सकते हैं आदि। यह जानने की प्रक्रिया मानव के लिये विशेष प्रक्रिया है।

शेष सब जीव–जन्तु तो सहज बुद्धि के प्राणी हैं परन्तु मानव विवेक बुद्धि रखता है। सहज बुद्धि सीखनी नहीं पड़ती सहज में आ जाती है। जैसे–किसी जीव–जन्तु का बच्चा पानी में गिर जाने के बाद सहज में ही तैरने लगता है परन्तु मानव के बच्चे को तैरना सीखना पड़ता है आदमी का मस्तिष्क सभी जीव–जन्तुओं के मस्तिष्क से बड़ा है। उसमें याद करने या भूली–बिसरी बातों को सोचकर बताने की शक्ति बहुत प्रबल है। इसलिये एक और अन्य जीव–जन्तुओं ने अपने जीवन में कोई विशेष प्रगति नहीं की वहीं दूसरी ओर मानव हर मिनट प्रगति कर रहा है। अपना खाना–पीना, घर बनाना, अपनी रक्षा करना तथा अपना खाना जुटाना आदि, सभी कार्यों में अन्य जीव–जन्तु हजारों वर्षों से उसी प्रकार से अपना जीवन चला रहे हैं और मानव निरन्तर अपनी सभी चीजों को बदलता, सुधारता और नयी–नयी चीजें बनाता चला जाता है।

इसी विवेक बुद्धि की कोई चेतना कहता है, कोई आत्मा कहता है, तथा कोई जीव कहता है। विवेक बुद्धि द्वारा सोचा गया विचार यह जरूरी नहीं कि सच्चा ही हो। बुद्धि जब कभी अपनी जानकार वस्तुओं के सम्बन्ध में सोचती है तो यह दुनिया की सच्ची वस्तुओं के बारे में ही सोचती है। परन्तु जब विवेक बुद्धि कल्पना की दुनिया में उड़ान भरती है तो वह वास्तविकता से दूर कोई भी झूठ कल्पना कर सकती है। जब कोई बात मानव की समझ में नहीं आती और विवेक बुद्धि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती तब मानव कल्पना की दुनिया में सोच–विचार कर अपनी तसल्ली करता है। जैसे– सौ साल पूर्व तक चेचक रोग के सम्बन्ध में मानव को कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं रही। इसलिए किसी नेता टाइप मानव ने, चाहे वह पुजारी रहा हो या कबीले का नेता, शीतला माता की कल्पना कर ली। शीतला माता एक अदृश्य देवी की शक्ति है जो नारायण होने पर बच्चे के शरीर में चेचक पैदा कर देती है। माता को प्रसन्न करने के लिये जगह–जगह उसके मठ और मन्दिर बनवाये गये। फल–फूल और पकवान द्वारा उसकी आराधना की गयी। बच्चे को चेचक निकलने पर शीतला माता की मिन्नते माँगी जाती थीं। चाँदी का एक रूपया लाल कपड़े में बाँधकर माता के नाम पर अलग रख दिया जाता था। अच्छा खाना बनाना, छोंक लगाना आदि बन्द कर दिया जाता था ताकि शीतला माता को नाराज होने का अवसर न मिले। हजारों वर्षों तक शीतला माता में, इस देश के लोगों ने अटूट विश्वास किया है। और साल पहले तक ऐसा आदमी मिलना मुश्किल था जो शीतला माता में विश्वास न करता हो। विज्ञान में प्रगति हुई, बीमारियों में कीटाणु सिद्धान्त खोज निकाला गया। विज्ञान में प्रगति हुई, बीमारियों में कीटाणु सिद्धान्त खोज निकाला गया। अधिकांश बीमारियों के सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो आँख से तो दिखाई नहीं देते परन्तु यन्त्रों की सहायता से जिन्हे देखा जा सकता है। ऐसे ही कीटाणु चेचक के भी होते हैं। वह कीटाणु वस्त्रों के माध्यम से या किसी और तरीके से एक रोगी से दूसरे रोगी पर पहुँच जाते हैं। चेचक के कीटाणुओं से लड़ने वाले सिपाही कीटाणु भी शरीर में होते हैं। उन्हीं सिपाही कीटाणु की संख्या अन्य पशुओं के शरीर में भारी मात्रा में बढ़ाकर उनके खून से चेचक के टीके बनाये जाते हैं या यह कहो कि चेचक के कीटाणुओं को मारने वाले सिपाही कीटाणु बड़ी संख्या में तैयार करके टीके के द्वारा लाखों बच्चों में प्रवेश करा दिये जाते हैं। जब भी चेचक के कीटाणु ऐसे बच्चों के शरीर पर हमला करते हैं तो टीके के सिपाही कीटाणु उन्हें मार डालते हैं इस प्रकार टीका लगने के बाद चेचक नहीं निकलती।

जब तक मानव को सत्य का ज्ञान नहीं था तब तक पूरा देश ईमानदारी से शीतला माता में विश्वास करता था और जब विज्ञान ने चेचक को एक प्रकार के कीटाणुओं द्वारा फैलाया गया रोग सिद्ध कर दिया और उसका उपचार टीके के रूप में बना दिया तो शीतला माता समाप्त हो गई। आज बिना पढ़े–लिखे थोड़े ही अज्ञानी व्यक्ति ऐसे हैं जो चेचक को शीतला माता का प्रकोप मानते हैं। पचास वर्ष बाद खोजने पर भी ऐसा मूर्ख नहीं मिल पायेगा।

साभार :
पृ० सं० 28 से 31
ईश्वर की खोज
चौ० महाराज सिंह भारती, पूर्व सांसद

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

कुशल बनो। उत्पादन करो।। अधिकारों के लिए संघर्ष को तैयार रहो।।।

DAMCEF TRUST

IF YOU BELIEVE IN YOUR SELF ANYTHING IS POSSIBLE

मानवता को वापस भुगतान करें
Pay back to humanity
कुछ भी संभव है
अगर आपको खुद पर विश्वास है

रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारी महासंघ ट्रस्ट

Defence And Multiple Civilian Employee Federation Trust

पंजीयन सं० 34 दिनांक 18/10/2023

भारतीय न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत

कार्यक्षेत्र समस्त भारत

–: पंजीकृत कार्यालय –

ग्राम व पोस्ट – रिवई (सुनैचा)
थाना – कबरई, जिला महोबा (उ० प्र०)
मो०: 7839007418
E-mail : damceftrust@gmail.com
Website : www.dbindia.org.in

-: प्रदेश कार्यालय उत्तर प्रदेश :-

म० न० 50B, तुलसी नगर
नियर पी० ए० सी० गेट
श्याम नगर, कानपुर (उ० प्र०)
मो०: 9506623779

प्रदेश प्रभारी

बीरबल वर्मा

मो०: 9936429765

और अधिकारियों की समस्याओं से भारत सरकार एवं सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों विभागों को अवगत कराना और उनके निराकरण हेतु कानून बनवाने आदि की मांग करना।

रक्षा और विभिन्न नागरिक कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से वंचित, पीड़ित, शोषित प्राणियों के कल्याण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तत्पर रहना।

शिक्षा – निःशुल्क शिक्षा हेतु भारत के प्रत्येक जिले में विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संचालन करना।

स्वास्थ्य – चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान करवाना और चिकित्सालयों की स्थापना करना।

सामाजिक सुरक्षा – व्यक्तियों के संकट के समय, जन्म, मृत्यु या विवाह में होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए लाभ प्रदान करना है।

रक्षा – रक्षा में लगे कर्मचारियों व उनके परिवार से है।

और – सभी

विभिन्न नागरिक कर्मचारी – संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्मकारों से हैं। (सशस्त्र बलों में कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर)

महासंघ – भारत के नागरिकों का संगठन से है।

ट्रस्ट – विश्वास/भरोसा है।

उस संगठन को दान दें
जिस पर आप विश्वास करते हैं
Make Donations to
an Organization You Believe In

-: उद्देश्य :-

- लक्ष्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं की नियुक्त करना आदि।
- संचालित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में गरीब बच्चों को शिक्षण हेतु प्रवेश दिलाना और उनका खर्च वाहन करना।
- रोजगार के सृजन के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना/संचालन करना आदि।
- भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डा० अम्बेडकर के विचारों के प्रचार–प्रसार के लिए कार्य करने वाले नागरिकों को "डा० अम्बेडकर विचार प्रचार रत्न" से सम्मानित किया जाना।
- प्राकृतिक चिकित्सा और योग के प्रचार–प्रसार के लिए कार्य करना आदि।

अतः आप सभी भारत के नागरिकों से अपील है कि तन, मन, से सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। **निवेदक** –

सियाराम

राष्ट्रीय संयोजक/न्यासी, **मो०: 9454923394**

अनिल कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम)
मो०: 8593630338, 07897757223
श्रीमती उमेश्वरी देवी
राष्ट्रीय संयोजक (मुद्रण एवं संचार)
मो०: 9005204074, 8756157631
मनोज कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (बेसिक शिक्षा विभाग)
मो०: 8787010365

राष्ट्रीय संयोजक (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
मो०: 7906006187
लेखचन्द्र गुप्ता
राष्ट्रीय संयोजक (खेल)
मो०: 9235728318
अजय कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (राज्य कर्मचारी)
मो०: 7007822504
महिपाल
राष्ट्रीय संयोजक (भारतीय जीवन बीमा निगम)
मो०: 9935456466
जगदीश प्रसाद दिनकर
राष्ट्रीय संयोजक (हथकरधा विभाग)
मो०: 9455593651
विवेक कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (सामाजिक संगठन)
मो०: 9616961612
श्रीमती सविता
राष्ट्रीय संयोजक (असंगठित क्षेत्र)
मो०: 8400430633
कु० ललिता
राष्ट्रीय संयोजक (महिला विभाग)
मो०: 7985811410
आशीष कुशवाहा
राष्ट्रीय संयोजक (अनुशिक्षण)
मो०: 8318038232
डा० अति दीपादन
राष्ट्रीय संयोजक (स्मारक एवं पार्क कर्मचारी)
मो०: 7269887945, 9258704062
विवेक कुमार चौधरी
राष्ट्रीय संयोजक (आयुध निर्माणियाँ अस्पताल)
मो०: 96969778910
महेश चन्द्र अहिरवार
राष्ट्रीय प्रवक्ता
मो०: 6388370835, 9956845323
विनोद कुमार
राष्ट्रीय संयोजक (संविदा एवं व्यापार)
मो०: 9935783705

-: राज्य कार्यालय छत्तीसगढ़ :-

वार्ड नं० 35 दुर्गा नगर
नियर नगर पालिका निगम कार्यालय के पास
जिला रायपुर
श्रीमती रमा गजभिये
राष्ट्रीय संयोजक (छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र)
मो०: 7828273934
आयुष गजभिये
राज्य प्रभारी
मो०: 9131112561
राजबहादुर अहिरवार (बस्तर)
राज्य सहप्रभारी
मो०: 620306631

-: राज्य कार्यालय राजस्थान :-

जी–19, नियर आटो स्टैण्ड
खुदानपुरी, जिला – अलवर
ताराचन्द
राज्य प्रभारी
मो०: 8504063363

-: पूर्वोत्तर राज्य कार्यलय असम :-

ग्राम – चिपरसंगम पार्ट–1
पो० – अलगापुर जिला – हैलाकांदी
बिलालुद्दीन चौधरी
प्रभारी पूर्वोत्तर राज्य
मो०: 9401027750
भवानी बूढ़ा ठोकी
प्रभारी असम राज्य
मो०: 6000539663
हरीनाथ चौहान
राष्ट्रीय संयोजन (असम & बिहार राज्य)
मो०: 6000380690
रितुदास
राष्ट्रीय संयोजक (असम & पं० बंगाल राज्य)
मो०: 8638349801

-: प्रभारी हरियाणा राज्य :-

देवेन्द्र सहरावत
मो०: 9068831086

अनिलदास # 9651217573
रामप्यार साह # 6263491099

-: प्रभारी म० प्र० राज्य :-

महेन्द्र तुरकर
प्रदेश प्रभारी
मो०: 8878372412
पुष्पेन्द्र अहिरवार
प्रदेश प्रभारी
मो०: 9669376505
रमाशंकर
प्रदेश प्रभारी उ० प्र० (बेसिक शिक्षिक)
मो०: 9450850778
ईश्वरी प्रसाद
राज्य संयोजक उ० प्र० (भारतीय जीवन बीमा निगम)
मो०: 9794366838
रामसिंह
मण्डल संयोजक झांसी
मो०: 9616838281, 6392558232
अनिल कुमार
मण्डल प्रभारी कानपुर
मो०: 9198414002
सुनील कुमार
मण्डल संयोजक वाराणासी
मो०: 9935363730, 9170836363
दातादीन
मण्डल संयोजक लखनऊ
मो०: 8115511006
सुनील कुमार
मण्डल संयोजक प्रयागराज
मो०: 8948990184
सुभाष चन्द्र
मण्डल संयोजक प्रयागराज
मो०: 8303995957
सुभाष कुमार
मण्डल संयोजक कानपुर
मो०: 9695931879
राकेश कुमार
जिला प्रभारी इटावा
मो०: 8009802461

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

पदाधिकारी बनने के लिए सम्पर्क करें – 9454923394

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र

सेवा में,
नाम ....
पता ....
....
....

क्या वास्तव में सत्यवादी थे?

हमारे भारतवर्ष में प्रायः लोग यही कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र से बढ़ कर सत्यवादी कोई पैदा हुआ ही नहीं, न जाने राजा हरिश्चंद्र के विषय में ऐसी कितनी ही उपमाएं दी गई हैं, ताकि हरिश्चंद्र सत्यवादी सिद्ध हो सकें, ऐसी ही उपमाओं में से एक बहुचर्तित उपमा प्रायः सुनाई देती है :

चंद्र टरै सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार,
पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को, टरै न सत्य विचार

लगता है, हरिश्चंद्र के प्रशंसक ने केवल राजा हरिश्चंद्र के द्वारा दिए गए दान की ही कथा का अध्ययन किया था और प्रशंसा के पुल बांध दिए थे।

यदि राजा हरिश्चंद्र के विषय में वास्तविक जानकारी उपरोक्त पंक्तियों के लिखने वाले प्रशंसक को होती तो संभव है कि वह ऐसी निंदनीय भूल कदापि न करता। यदि महर्षि विश्वामित्र को सब कुछ दान दे देने और अनेकानेक विपत्तियों के सहन करने मात्र से ही यदि राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी और दृढ़वती मान लिया जाए तो वह कोई प्रमाण नहीं हुआ, बल्कि उस असलियत पर परदा डालना हुआ, जिस के चलते राजा हरिश्चंद्र कदापि सत्यवादी नहीं माने जा सकते।

श्रीमदभावत के नवम स्कंध के सातवें अध्याय में राजा हरिश्चंद्र के आख्यान की कथा आती है और उसे पढ़ने के बाद कोई भी बुद्धिजीवी यह नहीं कहेगा कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। श्रीमद्भागवत के अनुसार हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र थे। हरिश्चंद्र का कोई पुत्र नहीं था अतः उन्होंने दुखी हो कर महर्षि नारदजी से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और उपाय पूछा।

नारदजी ने पुत्र प्राप्ति के लिए हरिश्चंद्र को वरूण की उपासना बताई। नारदजी के उपदेश से हरिश्चंद्र ने वरुण की शरण में जा कर उन से प्रार्थना की और कहा कि मेरा एक पुत्र उत्पन्न हो जाए, यदि वीर पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं उसी को 'यज्ञ पशु' बना कर आप का यज्ञ करूंगा। हरिश्चंद्र की याचना को सुन कर वरुण ने कहा, ''बहुत अच्छा, जाओ, तुम्हें एक पुत्र होगा।''

तदनंतर हरिश्चंद्र को रोहित नामक पुत्र हुआ, पुत्र होने के बाद वरूण ने आ कर राजा हरिश्चंद्र से कहा, ''हे राजन, तुम्हारा पुत्र हो गया। अब इस से मेरा यज्ञ करो।''

प्रमाण यह श्लोक है।

'जातः सुतो ह्येननांग मां ययस्वेति सोऽब्रवीत्'

राजा हरिश्चंद्र ने वरुण से कहा, ''जब यज्ञपशु (रोहित) दस दिन का हो जाएगा तब पवित्र होगा और तब मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा।

दस दिन के पश्चात पुनः वरुण ने आ कर कहा, ''अब तुम्हारा पुत्र दस दिन का हो चुकाहै, मेरा यजन करो।''

राजा ने फिर बहाना बनाते हुए कहा कि अभी इस के दांत नहीं निकले हैं, अतः अभी यह अपवित्र है।''

बेचारे वरुण फिर लौट गए और रोहित के दांत निकल आने पर पुनः हरिश्चंद्र के पास आ कर कहने लगे कि तुम्हारे पुत्र के दांत उत्पन्न हो गए हैं। अब मेरा यजन करो। राजा ने फिर बहाना बनाते हुए कहा कि जब इसके दांत गिर जाएंगे तब वह शुद्ध होगा।

बेचारे वरुण फिर लौट गए और जब दांत गिर गए तब पुनः आ कर वरुण ने कहा, ''दांत गिर गए हैं। अब तेरा यजन करो।

राजा ने पुनः बहाना बनाया और वरुण से कहा कि जब पुनः दांत उत्पन्न हो जाएंगे तब यह यज्ञपशु (रोहित) पवित्र होगा। वरुण फिर लौट गए और पुनः दांत उत्पन्न हो जाने पर वरुण ने आ कर राजा को कहा कि अब वह अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करे।

तब नया बहाना बनाते हुए हरिश्चंद्र ने कहा, ''हे वरुण, जब यह कवच धारण करने योग्य क्षत्रिय हो जाएगा, तब यह पवित्र होगा और तभी मैं इस को आपके लिए समर्पित करूंगा।

हरिश्चंद्र की चाल

राजा हरिश्चंद्र ने अनेकानेक बहाने बना कर वरुण को टालना शुरू कर दिया। तब वरुण भी राजा हरिश्चंद्र की चालबाजी को भलीभांति समझ गए और रोहित भी अपने पिता के मनोवांछित अभिप्राय को जान कर अपने प्राण बचाने के लिए वन में चला गया।

राजा हरिश्चंद्र की बहानेबाजी से परेशान होकर वरुण ने भी क्रोधित हो कर हरिश्चंद्र के पेट में जलोदर नामक रोग पैदा कर दिया।

वन में रोहित ने पिता को वरुण के द्वारा रोगग्रस्त समझ कर घर जाने की इच्छा व्यक्त की, परंतु इंद्र ने रोहित को घर आने से रोक दिया और ब्राह्मण का वेष धारण कर रोहित को यही उपदेश दिया कि तुम घर के प्रपंचों में क्यों फंसने जा रहे हो। पृथ्वी के पवित्र तीर्थों में भ्रमण करो तथा सुंदरसुंदर तीर्थों में रमण करो। रोहित इंद्र की बात मान कर वन को लौट गया, इस प्रकार पांच वर्ष की आयु तक रोहित वन में ही रहा और जब जब वह घर लौटने को हुआ, इंद्र ने उसे रास्ते से ही लौटा दिया।

शुनः शेष को खरीदा

पांच वर्ष की आयु तक रोहित वन में ही रहा और जब उस ने छठवें वर्ष की आयु में प्रवेश किया तो वह अपने घर की ओर लौट चला तथा ''अजीगर्त'' मुनि से उन के मझले पुत्र को यज्ञ का पशु बनाने के लिए खरीद लिया। प्रमाण के लिए यह श्लोक ही पर्याप्त है :

षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम,
उपब्रजन्नजीगर्तादक्रीणान् मध्यमं सुतम्
भा. न. अध्याय सात, श्लोक 20

रोहित ने अजीगर्त मुनि से जिस मझले मुनि कुमार को खरीदा था, उस का नाम 'शनुः शेष' था। एक विचारणीय प्रश्न यह भी उठता है कि अजीगर्त मुनि के पुत्र को खरीदने के लिए रोहित के पास धन कहां से आया? यदि हरिश्चंद्र राजा का कोई समर्थक यह कहे कि अजीगर्त मुनि ने उधार दे दिया था और बाद में कीमत ले ली थी, तो इस का उल्लेख और प्रमाण कहां है? रोहित ने घर आ कर शनुःशेष अपने पिता को सौंप दिया। तदनंतर हरिश्चंद्र ने पुरुषमेध शनुःशेष की हत्या करके, अर्थात नरमांस से वरुण का यजन किया। नरमांस के यज्ञ करने के बाद हरिश्चंद्र जलोदर रोग से मुक्त हो गए।

श्रीमद्भागवत के ही अनुसार इस पुरुषमेध यज्ञ में महर्षि विश्वामित्र आत्मवान जमदग्नि अध्वर्यु, वशिष्ठजी, ब्रह्मा और अयास्य मुनि उद्‌गाता हुए। ऐसा करने पर इंद्र ने हरिश्चंद्र के लिए एक सोने का रथ दिया।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर पाठक स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि हरिश्चंद्र कितने सत्यवादी थे। जिन्होंने वरुण से यह कहा था कि मैं पुत्र होने पर उस से आप का यजन करूंगा, परंतु बलिवेदी का बकरा बनाया गया बेचारे अजीगर्त मुनि के लड़के को आश्चर्य तो वरुण पर भी होता है कि उन्होंने कैसे अन्य व्यक्ति के पुत्र की बलि यज्ञ में स्वीकार की, जबकि बात रोहित की थी। सब से बड़ा महान आश्चर्य महर्षि विश्वामित्र, आत्मवान् जमदग्नि, वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि पर होता है, जिन्होंने ऐसे बहानेबाज, दूसरों के कंधों पर रख कर बंदूक चलाने वाले राजा के यज्ञ में भाग लिया और बेचारे शुनःशेष के मांस से यज्ञ संपन्न करवाया। जवाब नहीं इंद्र का भी जिस ने बहानेबाज हरिश्चंद्र पर प्रसन्न हो कर एक सोने का रथ भी दे दिया।

धन्य हैं सत्वादी हरिश्चंद्र और उनके गुणगान करने वाले, जो आज भी गर्व से साथ कहते हैं :

चंद्र टरै, सूरज टरै, टरै जगत व्यवहार
पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का, टरै न सत्य विचार

साभार :
कितने खरे हमारे आदर्श?
पेज संख्या 286 से 289 तक
सं. राकेश नाथ